



522
M.K.N.



GENERAL STUDIES (Test-22)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

GSM (M-I)-2422

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: ISMAIL AHMAD

Mobile Number: _____

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: _____

Center & Date: 06 Sept. 2024

UPSC Roll No. (If allotted): 6421910

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)



Feedback

- | | |
|---|--|
| 1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता) | 2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता) |
| 3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता) | 4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह) |
| 5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता) | 6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता) |
-



1.

न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रत्याभूति लोकतंत्र के अस्तित्व का मूल है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

The constitutional guarantee of judicial independence is fundamental to the existence of a democracy. Comment.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल भावना के साथ ही

समता, संप्रभुता, अखण्डता, स्वतंत्रता, अखण्डता आदि जैसे

मूल मूल्यों का समावेशन पाया जाता है। -न्यायिक स्वतंत्रता

की प्रकृति लोकतंत्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसलिए मूलभूत
है कि बिना न्याय के लागू किये इसका कोई महत्व नहीं
होगा।

* -न्यायिक स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्य :-

⇒ प्रस्तावना: प्रस्तावना -न्यायिक स्वतंत्रता के माध्यम
से संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रतीक
बनी है।

⇒ मूल अधिकार: भारतीय संविधान में इसे जैसे
मूल अधिकार (भाग-3) में 12 से 35 तक
राज्य की सत्ता पर अंकुश लगाते हुए नागरिकों के

समाप्ता, आदिवासी वी आजादी, धार्मिक आजादी
जैसी स्थिति प्रदान करते हैं।

⇒ किसी वी नागरिक के अधिकारों का अनिश्चय होने
वा आरक्षित संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद - 32 एवं
अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट
या उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से अपने
अधिकारों को हानि हेतु शिकायत करते समय या खतरा है।

DPSP : राज्य के निम्न-निदेशक तत्व राज्यों को
न्याय प्रदान करते हेतु विभिन्न निम्नोक्त उपाय यथा,
SALSA एवं DALSA के माध्यम से न्यायिक लोकतंत्र
को गंवार होने में सहायता करते हैं।

एक प्रमाण यह जा सकता है कि न्यायिक स्वतंत्रता
वी आरक्षण राज्य के दबावपूर्ण कार्यों से प्रसिद्ध।
न्याय लोकतंत्र को गंवार प्रदान करने में योग्य
है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) भारत में हाशिये पर स्थित समुदायों को निशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का प्रभावी अंतरण सुनिश्चित करता है। संपुष्ट कीजिये। (150 शब्द) 10
- The National Legal Services Authority (NALSA) ensures the effective delivery of free legal aid services to marginalized communities in India. Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भारत में वंचित एवं हाशिये के लोगों के अधिकारों के हनन होने पर निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से उनके अधिकारों का हनन रोककर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करके भारतीय लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था में विश्वास पैदा करने हेतु भोग रहा है।

हाशिये के समुदायों को न्याय

⇒ राष्ट्रीय स्तर पर NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) का गठन किया गया है।

⇒ राज्य स्तर पर SALSA का गठन

⇒ जिला स्तर पर DALSA का गठन

तृतीय संयता होने के कारण जनता को आसानी से न्याय प्राप्त करने हेतु विधिक वर्तमान एवं नवीन प्राप्त हो रहे हैं।

NALSA कुर्बानों, गलतफहमी, गिरफ्तारी, शरणार्थियों, पीड़ितों हेतु निः शुल्क सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख अभियोग है।

इसके NALSA में वर्तमान समय में कुछ निर्दिष्ट एवं कार्यक्षेत्र बताए जा रहे हैं—

- ⇒ अधिकारियों में अनिच्छा
- ⇒ धन आवंटन की कठोरता
- ⇒ जागरूकता अभाव
- ⇒ प्रशिक्षण की कमी

इस क्षेत्र के उपाय:

- ⇒ जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए
- ⇒ अधिकारियों को बेहतर पारिश्रमिक
- ⇒ महिला अधिकारियों को शामिल किया जाना
- ⇒ ई-कोर्ट, मोबाइल कोर्ट आदि को प्रोत्साहन

अब जा सकता है कि NALSA द्वारा हमारे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में बेहतर योगदान देगा, परन्तु हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए



3. भारत में राज्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को पर्याप्त कार्यात्मक और वित्तीय सशक्तीकरण प्रदान करने में असहयोगशील प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10
- States in India appear unwilling to grant Panchayati Raj Institutions (PRIs) adequate functional and financial empowerment. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की निर्माण हेतु नीतियों का कोयनित्वन किया गया तथा पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को स्वैच्छात्मक दर्जा दिया गया। परन्तु वर्तमान समय में राज्य PRI हेतु पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:-

- ⇒ वज्रपीप आवंटन की समस्या।
- ⇒ राज्यों की केन्द्र पर अधिक निर्भरता
- ⇒ पार्टी विरोध की शासन प्रणाली
- ⇒ राज्यों की कर प्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं की निम्न स्थिति
- ⇒ पंचायती राज संस्थाओं की सीमित जमींदारी
- ⇒ भ्रष्टाचार की व्यापक स्थिति।

- ⇒ धार्मिक तथा सामाजिक समानता
- ⇒ क्षेत्रीयता दृष्टिकोण
- ⇒ 15वें वित्त आयोग की स्थिति
- ⇒ महिला आकाश एवं लैंगिक असमानता
- ⇒ राज्यों की समस्याएँ
- ⇒ नगरेगा योजना, BPL, खाद्यान्न योजना में राज्यों की समस्याएँ

इसके के उपाय :

- ⇒ PRI को सशक्त बनाना
- ⇒ बेहतर अड्डा बनाएँ और निम्न
- ⇒ अव्यय आकृति बनाना
- ⇒ लेखा परीक्षा बनाना

इस प्रश्न पर जा सकता है कि PRI को ओवरहेल्ड बनाने हेतु राज्यों को अधिक ध्यान देकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थिति को मजबूत निम्नलिखित- चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

4. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश तथा भारतीय दृष्टिकोण में समानताएँ और विभिन्नताएँ दोनों ही देखने को मिलती हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

The British and Indian approaches to parliamentary sovereignty exhibit both similarities and differences. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

एक औपनिवेशी शासन वाले देश के रूप में ब्रिटेन ने भारत पर लगभग दो शताब्दियों तक शासन किया, जिसने व्यापक भारत एवं ब्रिटेन की नीतियों में कुछ समानताओं के साथ क्रान्ति की दिशा को मिली है।—

समानता

⇒ भारत सरकार अधिनियम

1935 का प्रभाव

काफी हद तक भारतीय

संविधान पर पड़ा है।

⇒ महाराष्ट्र अधिनियम 1897

का प्रभाव

⇒ आयरिश फ्री स्टेट

एक्ट 1923 का

प्रभाव

भिन्नता

⇒ संप्रभु संविधान के रूप में लिखित दस्तावेज।

⇒ स्वतंत्रता, न्याय, संप्रभुता जैसे मुद्दे क्रि-र लगे हैं।

⇒ DPSP जैसे अधिनियम

⇒ गैर कठोरता की आवश्यकता

⇒ IPC, 1860 and

मान्य

⇒ शिक्षा नीति मान्य

⇒ विवाह कादूनों अधिनियम

ईसाई विवाह, 1872

विधवा पुनर्विवाह 1856

सती प्रथा विरोध अधिनियम
1829

मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1837

मुस्लिम विवाह अधिनियम
1839

आदि।

⇒ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

and समावेस

⇒ भारतीय मान्य संहिता आदि

ये अंग्रेजी कादूनों and
प्रतिस्थापन।

⇒ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

⇒ UCC लागू करने हेतु सुझाव

⇒ संविधान भी सर्वोच्चता

⇒ जमा and शासन

संसदीय प्रणाली में जल्दी विधि कादूनों and कुछ लक्षण
समाप्ति के रूप में दिखाई देता है, परन्तु मूलतः यह
भारतीय सांस्कृतिक विलक्षणता हेतु प्रचलित के रूप में
शामिल होती है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



5. राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी विधायी कार्य में शिष्टाचार और अपक्षपात के सातत्य के साथ-साथ सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये जिम्मेदार होते हैं। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द) 10

State legislature presiding officers are responsible for upholding decorum and impartiality in legislative work, as well as facilitating sound democratic practices. Explain. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा एवं द्विसदनीय सदन की स्थिति में विधान पीठों में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की कार्य प्रणाली की अवस्था बताई है जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में विचारणीय कार्यों को करते हेतु लोकतांत्रिक पंथ के संरक्षण की सुदृढ़ता संगठित होती है।

पीठासीन अधिकारी के कार्य :

- ⇒ सदन की बैठक की अध्यक्षता करना
- ⇒ कोई विधेयक या विधेयक है कि नहीं, देना
- ⇒ सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना
- ⇒ आवश्यकता अनुसार वोटिंग करना
- ⇒ सदस्यों की निपेक्षताओं की परीक्षा करना
- ⇒ सदन की कार्यवाही का सुचारु संचालन

⇒ तत्कालीन और पीछाही का चालन आए।

पुनर्निर्माण :

राज्य विधानसभा पीछाहीन अधिकारी के एक विभिन्न

राज्यों में पुनर्निर्माण और विद्यमान हैं—

⇒ महासभा विधान सभा में अधिकार के पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण

⇒ कार्यकारी विधान सभा में कुछ उच्चतम को निर्धारित
आए डिप्टी जज

⇒ अदालतों पर जॉर्ज हिल के लिए कार्य आए और ओप

⇒ दल-कदल खेलेगी अदालतों और सत्ता के प्रति
समाधान स्थिति

राज्य विधानसभाओं के अधिकार लोक सभा अधिकार और तब
ही राज्यों के हितों को राजनीतिक परमाणु में
समान अधिकार सहा करने हैं। इनमें पारदर्शिता एवं
सम-व्यवस्था और अनिवार्य लक्ष्य हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



6. भारत के विकास में एक बड़ी चुनौती मानव संसाधन विकास पर अपर्याप्त ध्यान देना है। इस अपर्याप्तता को दूर करने संबंधी उपायों के सुझाव प्रदान कीजिये। (150 शब्द) 10

A major challenge in India's development is the insufficient focus on human resource development. Suggest measures to address this inadequacy. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

भारत एक बड़े-भाषी, विविधता पूर्ण देश है जहाँ पर
अधिक जागरूकता होने के साथ ही जागरूकता लाभांश को
सिद्धि भी प्रदान देती है।

मानव संसाधन :

भारत भी-जसा के एक बड़े वर्ग को जहाँ प्रत्यक्ष उद्योगों
का अभाव नष्ट होता है वहीं कुछ वर्गों को बेहतर अवसर
प्राप्त होती है जिससे निम्नलिखित प्रतीति का (न) है—

⇒ शिक्षा में GDP के हिसाब से पर निवेश

⇒ सांस्कृतिक सम्पदा कायां

⇒ लैंगिक समता: कुपोषण, रक्त अल्पता, IMR,
MMR आदि की स्थिति।

⇒ लैंगिकता

⇒ प्रदूषण

⇒ कौशल प्रशिक्षण अभाव

अपर्याप्तता इसके हेतु सुझाव:

- ⇒ शिक्षा पर जी० पी० सी० का कर से कम 6% खर्च किया जाना चाहिए।
- ⇒ गरीबी समाप्त हेतु सरकारी निरीपोर कर प्रगती प्रोत्साहन
- ⇒ लैंगिक समता पर ध्यान दिया जाना चाहिए
- ⇒ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
- ⇒ महिलाओं की स्थिति को सुधारा
- ⇒ जेडर बजटिंग को लागू करना
- ⇒ बेहतर अवसरों का पुनर्निर्माण देना प्रदान करना
- ⇒ स्वच्छता तथा सैनिकीय प्रदान करना

मानव संसाधन किसी भी देश का जल हस्ता है, इसको बेहतर अवसरों प्राप्त होने पर देश वृद्धि तब से तीव्र बढ़ेगी की- रणनीति को लागू करना है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रमुख बाजार स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Competition Commission of India plays a crucial role in preventing the misuse of dominant market positions by multinational companies in India. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रमुख बाजार स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, 2002 के माध्यम से इसे यह अधिकार हासिल है जो कि 2009 से लागू किया गया था।

इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- शोचिस्पदा को रोकना
- अधिश्रुता एवं निष्पक्ष वितरण
- उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करना
- उचित व्यापारिक प्रथाओं को बढ़ावा देना
- मानक प्रदान करना

दुरुपयोग रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका:

- अनुचित व्यापारिक प्रयासों की रोकथाम
- आर्थिक और विचार का आदाना
- सार्वजनिक और निजी
- प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए
- विदेशी निवेश की जांच
- जांच एवं जांच

राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोग द्वारा प्रतियोगिता की रक्षा
 तथा प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह
 राज्य सार्वजनिक एवं अनुचित व्यापारिक प्रयासों को
 रोकने के लिए जे. जे. जे. करता है।

उम्मीदवार को इस
 हाशिये में नहीं
 लिखना चाहिये।
 (Candidate must
 not write on this
 margin)



8. सरकारी कार्यों में ई-गवर्नेंस के उपयोग से दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार हुआ है। इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा डालने वाली कमियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

E-governance has brought about greater effectiveness, transparency, and accountability in government functions. Highlight the shortcomings that hinder the improvement of these features. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

तकनीक के बेहतर प्रयोग एवं जागरूकता के लिए सरकारों को कार्य प्रणाली के रूप में ई-गवर्नेंस के उपयोग से कार्य को कुशलतापूर्वक, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ समग्र पर करते भी एक प्रक्रिया के रूप में संबोधित किया जा सकता है।

ई-गवर्नेंस के लाभ :

- ⇒ विभिन्न सरकारी भौजानों के लाभ देना एक विद्वती व्यवस्था
- ⇒ भ्रष्टाचार में कमी
- ⇒ धन्य - रहित प्राप्तीकरण
- ⇒ शिक्षणों का उचित निपटारा
- ⇒ पारदर्शिता
- ⇒ उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण
- ⇒ समकक्षता की नीतिहीनता का जोर बालन

ई-गवर्नेंस क्या :

⇒ कुछ हद तक प्रशासनिक हेतु कायाएं

जैसे आयुक्त प्रशासन हेतु जाता

⇒ घोर बेनीफिशरी (Ghost Beneficiary)

जैसे सार्वजनिक या खाद्यान्न वितरण में ऐसे लोगों का नाम जो कि अप्राप्त या अनाप्त हैं।

⇒ अधिकारियों को गंभीरता से न लेना

जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारी विधि में अनाप्त रोक
संयुक्त करने की कोशिश करते हैं।

⇒ तकनीकी कायाएं, इंटरनेट जागरूकता आदि

आगे की राह

⇒ वेबसाइट का उपयोग करना

⇒ अधिकारी की प्रशिक्षण देना

⇒ फीडबैक

⇒ इंटरनेट जागरूकता

ई-गवर्नेंस को वेबसाइट करने के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता
अभिप्रेत महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकते हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



9. SCO को प्रायः चीन-रूस सहभागिता हेतु एक मंच के रूप में देखा जाता है। संगठन के भीतर भारत के सामरिक हितों के लिये इस साझेदारी के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The SCO is often seen as a platform for Sino-Russian collaboration. Discuss the implications of this partnership for India's strategic interests within the organization. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

SCO (शंघाई सहयोग संगठन) की स्थापना रूस-चीन सहित दू. देशों द्वारा की गई थी, 2018 में भारत एवं पाकिस्तान को शामिल करने के बाद इसकी संख्या आठ हो गई है।

संस्थापक सदस्य होने के कारण रूस और चीन सहभागिता प्रमुख रूप से SCO की गतिविधियों को प्रभावित करती रही है प्रत्येक गतिविधि में इसे एक मंच के रूप में निर्णायक स्थिति प्रदान करती है -

⇒ क्षेत्रीय स्थिति के रूप में चीन एवं रूस के अलग-अलग हित हैं, चीन जहाँ BRI के माध्यम से आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त करता जा रहा है वहीं रूस अपने राजनीतिक लक्ष्यों हेतु प्रमुख दावा प्रस्तुत करता है।

चीन जहां आर्थिक वर्चस्व हेतु SCO को सबसे अधिक फलर रणनीतिक मंच मानता है वहीं इस मध्य (Middle) एशियाई देशों के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण अपना भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है।

भारत के सामरिक हित:

भारत SCO के माध्यम से अपने निम्नलिखित हितों पर ध्यान देने की कोशिश करता है—

- ⇒ सामरिक साझेदारी
- ⇒ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति
- ⇒ आर्थिक हितलब्ध
- ⇒ मध्य एशिया से संबंध
- ⇒ रणनीतिक साझेदारी
- ⇒ सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहृदयता में अतिवृद्धि।

भारत SCO के संतुलन की अवधारणा मानता है तथा SCO सदस्यों की संयुक्तता का सम्मान करते हुए विश्व गुरु से विश्व संबंध बनाने की इच्छा रखता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

10. भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The Indian diaspora significantly influences the political and economic landscapes of the United States and European countries. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सबसे अधिक जनसंख्या में से एक देश होने के कारण भारतीय जनसंख्या विदेशों में भी भारतीय संस्कृति, आर्थिक स्थिति, देशों के संबंधों की गतिशीलता आदि में योग देते हैं। भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूरोपीय देशों के राजनीतिक पार्श्व को साथ ही आर्थिक परिदृश्य को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

भारतीय प्रवासी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका :-

⇒ अमेरिका के क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का वृद्ध योगदान है।

हालांकि अमेरिकी बीजा निधियां जैसे M, M2 बीजा आदि कायापल्लव प्राप्त हैं।

⇒ अमेरिका की राजनीति में भारतीय प्रवासियों की वृद्ध भूमिका महत्वपूर्ण है जिसमें वे भी राजनीतिक संस्था के हालातों को देखते हैं जो USA की उपस्थिति के पक्ष को देखकर जा सकते हैं।

अमेरिका तथा यूरोप के राजनैतिक एवं आर्थिक लक्ष
में भारतीय प्रभासी।

⇒ ब्रिटेन : भारत का औपनिवेशिक राज होने के तहत
ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की अधिक जासूसी है
जो वहां की राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति के
बिनाक ये अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाते।

उदाहरण : भारतीय प्रवासियों को इस पद प्राप्त करने के
पास (हालांकि) लेना (अच्छा सुझाव)।

⇒ आपातकाल : भारत देश वहां भारतीय प्रवासियों की
आधिपत्य है।

⇒ इसी-जैसी आदि अनेक देशों में भारतीय प्रवासियों
को वहां की अधिपत्य में जोड़ देते हैं।

संक्षेप में यह जाह्नव है कि भारतीय प्रभासी जहां रीतिरिवाज
के महान से भारत में अपनी भावना से जाते हैं वही विदेशित
देशों में भारत की संस्कृति एवं पारम्परिक का भी संसार करते
हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



11. भारत का संविधान एक गतिशील, जीवंत दस्तावेज है, जिसे प्रगतिशील समाज के साथ अनुकूलन और विकास के लिये अभिकल्पित किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्द) 15

The Constitution of India is a dynamic, living document, designed to adapt and evolve with a progressive society. Illustrate with reference to right to life and personal liberty. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत का संविधान देश की आत्मा एवं शरीर को वैयक्तिक परिदृश्य के साथ अनुकूलन करने के साथ-साथ एक ऐसे विलक्षण दस्तावेज की अनुकूलित अवस्था उपलब्ध करता है जो जीवन एवं नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों का परिरक्षण, संरक्षण तथा नवगर्धन करती है।

* भारतीय संविधान गतिशील दस्तावेज :

संविधान की प्रस्तावना : भारत के लोगों से शुरु होकर

समाजप्रभुता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता

आदि जैसे मूल्यों को समर्थित करते हुए संविधान की गतिशीलता के दर्शन को प्रष्टता से प्रस्तुत करती है।

मौलिक अधिकार:

6 मूल मूल मौलिक अधिकार जहाँ, स्वतंत्रता, समता, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। वहीं रिट अधिकार को राज्य की राज्य पर अंकुश लगाते हैं।

नया अस्पृश्यता जैसे 'व्यवस्थागत अभिवृत्तियों' को समाप्त कर भारतीय संविधान के जीवन दस्तावेज बनाने हेतु दृष्टि प्रदान करते हैं।

* प्रातिष्ठित समाज के साथ अनुकूलन और विकास:

संविधान राज्य के नीचे निदेशक तत्वों के माध्यम से धर्म और क्षेत्रीकरण सेकता है।

⇒ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिवृद्धि हेतु प्रोत्साहन के लिए के अनुच्छेद 51(A)।

⇒ UCC का गठन करने के लिए अनुच्छेद 44।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

जीवन एवं भाविता स्वतंत्रता का अधिकार:

- ⇒ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत निर्धारित अधिकार आते हैं—
- ⇒ अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ⇒ अनुच्छेद 20: अपराधों के दोषीता को दोषार नष्ट विधि की विधि (Rule of Law) की अपेक्षा प्रदान करता है
- ⇒ अनुच्छेद 21: जीवन के अधिकार का स्पष्ट कारण
- ⇒ अनुच्छेद 22: दण्ड एवं गिरफ्तारी से सुरक्षा
- ⇒ अनुच्छेद 23: शोचन के विरुद्ध रक्षा आदि।

इस प्रश्न पर जरूर ध्यान दें कि भारतीय संविधान एक गतिशील जीवन दस्तावेज के माध्यम से भारतीय समाज में अनुक्रम की आर्थिक प्रक्रिया स्पष्ट करता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



12.

जेंडर न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

The concept of gender justice is inherently embedded in the Indian Constitution. Explain with the help of relevant constitutional provisions and case laws. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

भारतीय संविधान न्याय की अवधारणा के रूप में एक
वृद्ध संरचनात्मक स्थिति प्रदान करता है जिससे सम
समय पर विधायिका द्वारा विभिन्न मामलों के माध्यम से
जोड़ा जाता है तथा उच्चतम - न्यायालय एवं राज्यों के
उच्च न्यायालयों द्वारा समग्र - समग्र पर अपने - मानविक
निर्णयों द्वारा जेंडर - न्याय हेतु अनुकूल विचार प्रदान की
गई है —

* संवैधानिक प्रावधान :

संविधान के प्राव- 3 के मौलिक अधिकारों के विभिन्न

अनुच्छेद जेंडर - न्याय की अवधारणा की पुष्टि करते हैं —

अनुच्छेद, 14 : समता के रूप में ।

अनुच्छेद 15 : जन्म, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर
पात्रता प्राप्त न करने

अड्डेस 16: आक्षेप प्रदान किया गया

अड्डेस 23: शोषण के प्रकार

⇒ 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992: महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं सरपंच पालिका क्षेत्रों में 33% आक्षेप दिया जाता।

⇒ LGBTQIA+ के अधिकारों को संरक्षण दिया जाता एवं भेद जेड के रूप में मान्यता प्रदान करता

⇒ शक्ति जहां केस में पक्षों की अभिरक्षा को प्रभावित दिया जाता

⇒ शाह कृतो प्रकाश में महिलाओं को जागीदारी एवं नाम नगर आक्षेप प्रदान करते हेतु संप्रति कोर्ट का निर्णय।

⇒ विशाखा गाइडलाइन्स (POSH) अधिनियम, 2013

⇒ शी-बॉक्स (She Box)

⇒ निर्भर फंड का गठन

⇒ नवी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



⇒ जेड क्रीड़ा लागू करा

⇒ भारतीय सेना में महिलाओं हेतु कमीशन

लागू करा
⇒ महिलाओं को पदों की आपूर्ति नहीं देने से संबंधित निर्णय
(न्यायिक) से बचाव।

इस प्रमाण पर जा सकता है कि जेड न्याय भी अव्यवस्था

अव्यवस्था भारतीय संविधान में मौजूद होकर सतत काल से
द्वारा से गतिशील आकार में है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

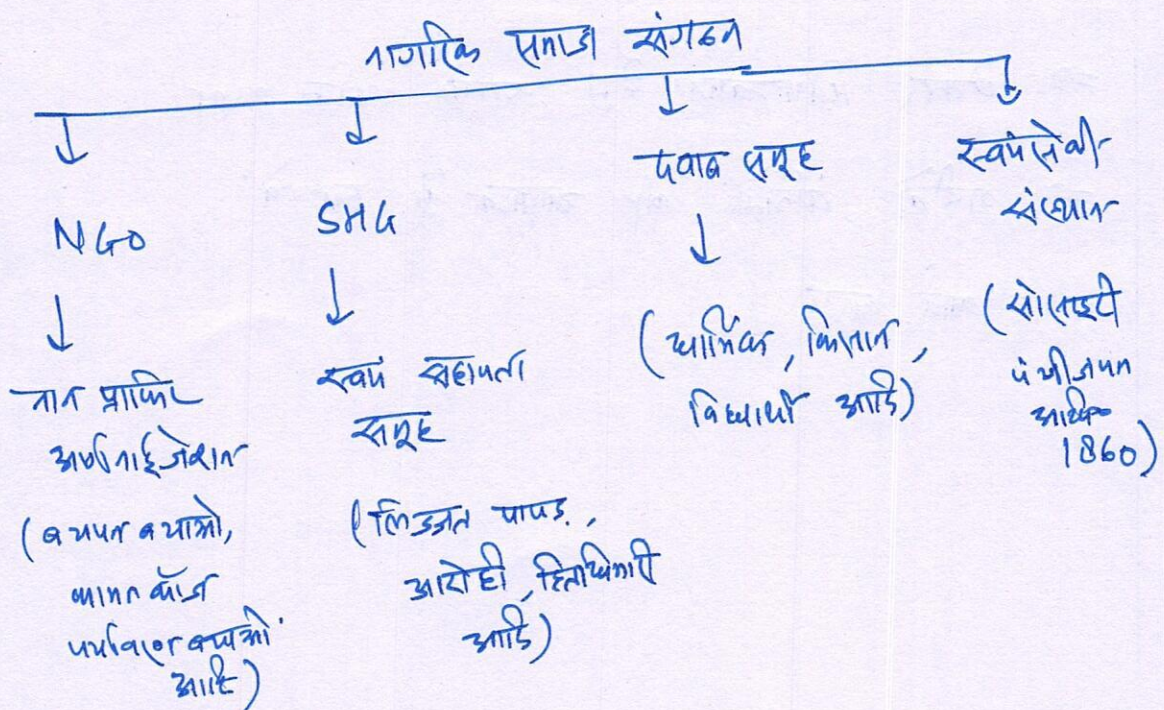
(Candidate must
not write on this
margin)

13. भारत में प्रभावी नीतियों को आकार देने और कार्यान्वित करने में नागरिक समाज संगठनों के योगदान का अन्वेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Explore the contribution of civil society organizations in shaping and executing effective policies in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

भारत में प्रभावी नीतियों को आकार देने एवं उन्हें कार्यान्वित करवाने हेतु दबाव-समूह, जनता के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में NGO, तथा नागरिक समाज संगठनों की प्रमुख भूमिका होती है। जो समय-समय पर अपने विभिन्न कलापों द्वारा नीतियों को लागू करने या वापस लाने पर जोर देने हुए प्रभाव डालते हैं।



नैतिक समाज संगठन का पोजिशन :

नैतिक समाज संगठन नीतियों के निर्माण पर
निम्नलिखित स्थिति के माध्यम से अपना प्रभाव प्रकट
करते हैं :-

- ⇒ नीतियों की बेहतर जानकारी हासिल करना
- ⇒ बुनियादी चीजों की कमी वाली स्थिति से परताल करना
- ⇒ नैतिकता आधारित दृष्टिकोण
- ⇒ पत्राचार व्यवस्था के तहत ले जाया जाता है
- ⇒ बेहतर प्रशासनिक हेतु सार्वजनिक स्थिति बनाना
- ⇒ गरीबों, वंचितों की आवाज के रूप में
जाया जाता है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

दुलोकिके कुछ पुरोहितों की- अलग लक्षण में प्रकट रूप से देखी जा रही है। —

- अलगाव की प्रवृत्ति
- अनेक दल बन गए
- स्वयं के मामले हेतु दबाव
- गार्ड - अपोतीज (Nepotism) की प्रवृत्ति
- आम लोग, हड़ताल जैसे विरोध प्रदर्शन

इस प्रसंग पर यह प्रकट है कि राजकीय समाज संगठन प्रजापी नीतियों के कार्यान्वयन हेतु आगे, नाक एवं आग जैसी शक्तें हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



14. 'भारतीय न्यायपालिका पुरुष प्रधान है।' इस कथन के आलोक में न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये। साथ ही सुधारात्मक उपाय संबंधी सुझाव भी प्रदान कीजिये। (250 शब्द) 15
- 'Indian judiciary is a male dominated affair.' In the light of this statement discuss the issues related to the representation of women in judiciary. Also, suggest remedial measures. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लैंगिक अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं है। भारतीय संदर्भ में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में जहाँ पुरुषों का वर्चस्व प्राचीन समय से ही विद्यमान है वहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति निम्न है निम्नो लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत हैं—

- ⇒ पितृसत्ता का वर्चस्व
- ⇒ जातों की जटिलता के कारण
- ⇒ भारत की पहाड़ में पुरुषों की गतिविधि
- ⇒ घर से दूर कोर्ट एवं आलेज का होना
- ⇒ लो आलेजों की कम संख्या
- ⇒ पेशेवर दृष्टिकोण की निम्न स्थिति।

न्यायपालिका को चे महिलाओं के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
हो —

- ⇒ अदालतों की औपनिवेशी कार्य प्रणाली
- ⇒ स्वस्थाल जिला एवं जेजाल कोर्ट
- ⇒ शौचालय एवं बाक सफाई की-व्यवस्था
- ⇒ आपराधिक न्याय प्रणाली की प्राचीन प्रकृति
- ⇒ तकनीक के प्रति अज्ञानता
- ⇒ महिला वकीलों के साथ नेदभाव की- स्थिति
- ⇒ रोल मॉडल के रूप में की-
- ⇒ जगहों अभाव तथा संरक्षण व्यवस्था

* संस्थागत सुधार हेतु प्रयास किए जाते चाहिए —

- ⇒ प्रत्येक तहसील पर एक लॉ कॉलेज का निर्माण किया जाना चाहिए।
- ⇒ प्रोडिक्ट-मानवोन्मुख परीक्षा (PPSC) में महिला आक्षेप लागू किया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



⇒ न्यायालय एवं विभिन्न कोर्ट में महिलाओं

के अलावा शोचालय एवं रेगिस्ट्रार की-अवस्था की-जारी पाएँ।

⇒ लैंगिक भेदभाव एवं हिंसा को समाप्त किया जाना चाहिए।

⇒ जागरूकता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

एक प्रश्न यह जा सकता है कि न्याय के अंदर में न्याय की देवी की मूर्ति के अलावा साक्षान्-न्याय की देवी को प्रतिनिधित्व देकर भारतीय न्याय पाठिका के मुख्य प्रश्न होने के 'टैग' को समाप्त करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

15. भारतीय संविधान एकात्मकता का भाव रखता है यद्यपि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों की सुदृढ़ता एवं स्वतंत्रता से समझौता किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

Indian Constitution comes with a unitary bias. However, that does not mean that the Constitution makers took anything away from strong and independent states. Comment. (250 words) 15

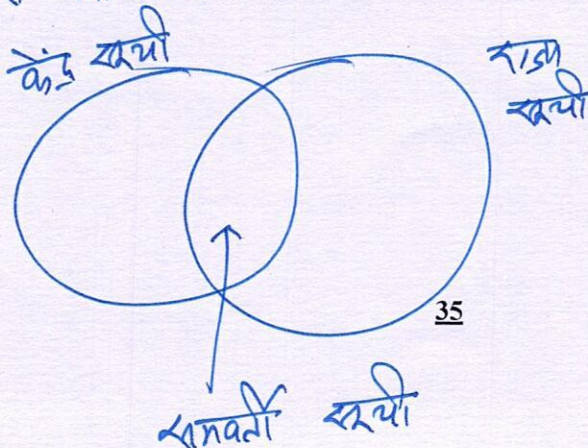
उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में वर्णित किया गया है जो कि सभी राज्यों के एकीकरण को आत्मसात करने हेतु भारतीय संविधान के गीरी-निर्माताओं की प्राथमिकता का कोष कायदा है। भारतीय संविधान में राज्यों की स्थिति विनोदी राज्यों के एक आक्रामक संघ के रूप में शामिल होती है जिसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र की दशा द्वारा के राज्य की सत्ता पलती है।

राज्यों की सत्ता की सुदृढ़ता की स्थिति:

भारतीय संविधान में सार्वी राष्ट्रपति के महत्त्व से कार्य का विवरण किया गया है।





⇒ केंद्र राज्य सरकारों की कार्यकारी एवं विचारणीय शक्ति को प्रदर्शित किया गया है।

श्रीलंका में बाघ एवं केंद्र राज्य की महत्ता :-

- ⇒ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का महत्ता।
- ⇒ अंतर्गत आपातकाल के माध्यम से राज्यों की स्थिति
- ⇒ वज्रपीठ कार्यविधान
- ⇒ अंतरराज्यीय वज्रपीठ योजना में केंद्र की महत्ता
- ⇒ GST एवं का अवसंलक्ष्य।
- ⇒ विभिन्न योजनाओं में राज्यों की निम्न भागीदारी
- ⇒ का अपव्यय एवं सेस में राज्यों को कोई हिस्सा नहीं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

⇒ राज्यों की अलग-अलग केन्द्रों को एक राज्य से कई राज्यों में विभाजित किया जा सकता है।

⇒ राष्ट्रपाल की -भूमि केन्द्र सरकार की सर्व शक्ति

⇒ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की -भूमि, निलम्बन आदि में केन्द्र की प्रमुख शक्ति।

उपरोक्त से कम केन्द्र में देखा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक स्थिति के केन्द्र सरकार की प्रवृत्ति राज्यों के संघर्ष के कार्यक्षेत्रों वृद्धिमान प्राप्त नहीं है, जिन्हें लिए सामाजिक संबंधों पर जोर देने की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

16. राज्यसभा की उपेक्षा करने के लिये कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करता है। इस संवैधानिक चिंता के समाधान से संबंधित उपायों के सुझाव प्रदान कीजिये। (250 शब्द) 15
- Categorization of certain bills as Money Bills to bypass Rajya Sabha raises constitutional concerns. Suggest ways to tackle this constitutional concern. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

भारतीय संसद के लिये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति

को शामिल किया जाता है। राज्यसभा जहाँ उच्च
सदन के लिये नहीं है खासतौर पर होती वहीं लोकसभा
का गठन चुनाव के माध्यम से पांच वर्षों हेतु किया
जाता है।

यूँ तो लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति साधारण
विधेयक के मामले में समान है परन्तु लोकसभा को
यह विधेयक के मामले में विशेष स्थिति प्रदान की
गई है।

⇒ कोई विधेयक या विधेयक नहीं है वह केवल
लोकसभा के अधीन रहता है।

⇒ संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यह
विधेयक को परिभाषित किया जाता है।

धन विधेयक के संघर्ष में राज सभा की भूमिका:

लोक सभा यदि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करती है तो राजसभा इस विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, और यदि विधेयक पर वह कोई संशोधन करती है तो लोकसभा के अग्र हैं कि वह इस संशोधन को मानती है या नहीं। विधेयक को लौटते या अपने हिसाब से कमी - जादती करते हुए कोई भी अधिसूच राजसभा के पास नहीं होता है।

* संवैधानिक चिंता राखाया हेतु उपाय:

⇒ आचार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित किया जाना अतैतिक निर्णय था ऐसा हो इसलिए इसपर चर्चा नहीं की जाते और आवश्यक है।

⇒ एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जिसे लोक सभा एवं राज सभा दोनों सदनों के सदस्य हों।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

⇒ लोक सभा अध्यक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता
 तथा राज्यसभा के सभापति को शामिल करके
 कटुता से आलम पर फैसला करना।

इस प्रणाली में यह जरूरत है कि राज्य सभा
 के साथ ही लोकसभा को भी चार विधेयक संबंधित
 सदन में भेजना हो है तो राज्य सभा की आवश्यकता
 जानी चाहिए।

उम्मीदवार को इस
 हाशिये में नहीं
 लिखना चाहिये।
 (Candidate must
 not write on this
 margin)

17. 'भारतीय संविधान अंशतः पश्चिमी देशों के संविधान से गृहित दस्तावेज है।' समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

'Indian Constitution is a bag of borrowings.' Critically analyse.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

विश्व के सबसे लम्बे संविधान एवं लिखित संविधान
के रूप में भारतीय संविधान में अनेक जोड़ों में
संवैधानिक प्रावधानों का अंश शामिल किया गया है।
कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान जो अन्य देशों से
गृहित किये गये हैं निम्न लिखित हैं:-

* मौलिक अधिकार:

- ⇒ मौलिक अधिकार की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका
के संविधान से लिया गया है।
- ⇒ नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणा भी अमेरिकी
संविधान से ही ली गई है।

ब्रिटिश संविधान :

ब्रिटेन का औपनिवेशिक होने के कारण अधिकांश कानून
ब्रिटेन से ही लिया गया है—

- ⇒ भारत सरकार अधिनियम, 1935 के कुछ अंश
- ⇒ भारत सरकार अधिनियम, 1947 के कुछ अंश
- ⇒ संसदीय प्रक्रिया
- ⇒ कानून का शासन
- ⇒ रिट अधिनियम की प्रक्रिया

USSR (रुस)

⇒ मौलिक अधिकार

कनाडा

राज्यपाल की शक्तों की प्रक्रिया

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

आपत्तियाँ :

⇒ राज के भीत - विदेशीय तत्व

⇒ सामाजिक आर्थिक - पाप

⇒ क्रांति

स्वतंत्रता, समानता एवं अर्थव्यवस्था की आवश्यकता

संविधान सभा ने जो भी राज के आखिरी में आलोचना करने पर और भी कि भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज बनाने के लिए अनेक दलों से अच्छे चीजों को लेने पर आपत्ति नहीं होती चाहिए। यह संविधान को लाने समय तक लचीलापन प्रदान करेगा। जो कि भारतीय लोकतंत्रिक व्यवस्था में मिल जाएगा शक्ति होगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



18.

प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरूकता का अभाव या अपर्याप्त ज्ञान समाज में डिजिटल विभाजन का कारण बनता है। स्पष्ट कीजिये कि यह भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। (250 शब्द) 15

Lack of technological awareness or knowledge leads to a digital divide in society. Explain how it adversely effects the education and health sector of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

अपर्याप्त एवं अधव्यक्त ज्ञान एमेश की खतरनाक स्थिति का द्योतक होता है। प्रौद्योगिकी को यदि सावधानी से न चलायी जाए तो यह आपदे के बजाय दुष्प्रभाव डालती है।

डिजिटल विभाजन एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निम्न रूप में नकारात्मक प्रभाव :-

- ⇒ गणसुता प्रभाव
- ⇒ शिक्षा में पीछे
- ⇒ वैकिक दूरस्था
- ⇒ फेक-न्यूज की ख्याति
- ⇒ चालस रण्ड (child Abuse)

शिक्षा पर प्रभाव :

- ⇒ शिक्षा बेनिफिट
- ⇒ इंटरनेट गै-गैप
- ⇒ मोबाइल कनेक्टिविटी प्रभाव
- ⇒ बेहतर अवसरों का दायरा
- ⇒ टॉप आउट दर
- ⇒ पितृत्वता
- ⇒ लैंगिक विभाजन

स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव :

- ⇒ स्वच्छता मानक
- ⇒ दवाइयों एवं विभाग
- ⇒ एंटी-बायोटिक रेसिस्टेंस (AMR)
- 2 एंटी-बायोटिक प्रयोग

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

⇒ लैंगिक समानता

⇒ पारिवार नियोजन अडवियन

⇒ गर्भ नियोजन को गर्भपात के रूप में उपयोग

⇒ स्वास्थ्य मानक में गिरावट

⇒ लक्षित दवा वितरण में बाधा

⇒ चिकित्सा प्रौद्योगिकी प्रमाण

उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि बिना

तकनीकी जानकारी के डिजिटल विभाजन के साथ-ही

साथ अर्थव्यवस्था प्रमाणित होने का संभव

होता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



19. नाटो का विस्तार एवं अमेरिकी-यूरोपीय सामरिक सहयोग का सुदृढ़ीकरण भारत के हितों को संपुष्ट करता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

India's interests are well-served by NATO's growth and the stronger U.S.-Europe strategic cooperation. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

नाटो एक रक्षा आधारी संगठन के रूप में संयुक्त
राष्ट्र अमेरिका संगठन की आधारीत सामरिक आवश्यकता
को संदर्भित करता है।

जहां पर किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर
हमले के रूप में आक्रमण संगठन की दृष्टिकोण
प्रदान करता है।



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



20. पर्यावरण संरक्षण एवं समुद्री सुरक्षा संवर्द्धन में IMO (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Role of IMO (International Maritime Organisation) in protecting environment and enhancing maritime safety and security cannot be overstated. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर
गिरावट देखी जा रही है जिससे संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय
समुद्री संगठन की- ~~विश्व~~ स्तर पर एवं जहाजों को बना
बोके नहीं आया जा सकता है।

IMO की श्रेष्ठियाँ :

- ⇒ तौका एवं जहाज संभालना में शामिल
- ⇒ व्यापार एवं आर्थिक संभालना
- ⇒ आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति
- ⇒ वैश्वीकरण मानक स्थापित

⇒ सड़की टकैती एवं पापरेसी रोका।

⇒ बेल्गर निपातक काव्रणो

SOLAS आडि आ गडग मलर

भारत के संघर्ष जे जमठ अभिव्यः

⇒ ^{'दिदे'} ~~हिंसा~~ प्रदान क्षेत्र जे गतिविधियो की सवालमला

⇒ साक्षर कार्यक्रम

⇒ बेल्गर सड़की सुरक्षर

⇒ निपातक लसीम सोप

⇒ प्रभुवा आ वरमान

⇒ चीन को प्रति संतुलि मलर।

अंतराष्ट्रीय सड़की संगठन विभिन्न दृष्टिकोण के
माहदान से बेल्गर अडविश प्रदान मलर है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)



Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)



Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)



Space for Rough Work
(रफ़ कार्य के लिये स्थान)